54

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निग-1406-I-16

श्री अजयश्रीवास्तव (एड.)
द्वारा आज दि. 4/05/16 को
प्रस्तुत
क्लर्क 4-5-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. रामदेवी पत्नी घनश्याम यादव
   निवासी खैरा तहसील मोहनगढ़
   जिला टीकमगढ़ (म०प्र०) ....आवेदिका

//विरूद्ध//

1. रमकू वेबा झतुर उर्फ नन्नेभैया यादव
2. कुंवरलाल तनय नन्नेभैया यादव
3. भागीरथ तनय दुर्गे यादव
4. धर्मदास तनय भूपत यादव
   सभी निवासी खैरा तह० मोहनगढ़
   जिला टीकमगढ़ (म०प्र०) ....अनावेदकगण

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी जिला, सागर (म.प्र.)
9424404113, 07582-244808

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय तहसीलदार जतारा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमाँक 19/अ–27/2015–16 में पारित आदेश दि० 29–03–2016 में पारित आदेश के विरूद्ध परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, विवादित भूमि कुल किता 19 कुल रकवा 2.352 हे0 स्थित ग्राम खेरा आवेदिका एवं अनावेदकगण के नाम सहखाते दर्ज है जिसके वटवारा हेतु सम्मानीय अपर आयुक्त सागर के आदेश दिनांक 07–09–2015 के तहत आवेदिका द्वारा आवेदन तहसीलदार मोहनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया है। जहॉ कार्यवाही के प्रचलित रहते हुए अनावेदक द्वारा धारा–30 के तहत प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्होंने प्रकरण तहसीलदार जतारा को प्रत्यावर्तित किया है तहसीलदार जतारा द्वारा प्रकरण में वटवारा आदेश पारित न कर कार्यवाही स्थिगित किए जाने से पारित आदेश के विरूद्ध यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि, आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने है।

3. यह कि, विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेशों का परिशीलन किए बिना कार्यवाही स्थिगित की है जबकि व्यवहार न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नहीं दिए जाने का उल्लेख भी अपने आदेश में किया है। उन्होनें स्वयं लिखा कि

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग - 1406-II-16 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-5-16	1— आवेदक की ओर अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित उपस्थित उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया। यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार जतारा के प्र.क्र.19 अ—27/2015—16 में पारित आदेश दि.29.03.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया है कि न्यायालय अपर आयुक्त सागर के आदेश दिनांक 07.09.2015 में नये सिरे से वटवारा किए जाने के निर्देश दिए थे किंतु तहसीलदार जतारा द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए वटवारा की कार्यवाही समाप्त कर दी है जबकि व्यवहार न्यायालय वर्ग—1 जतारा के समक्ष वसीयतनामा के विवाद के संबंध में प्रकरण का निराकरण आवेदिका के पक्ष में दि.15.04.14 किया गया है। जिसकी अपील प्रस्तुत की गई है अपील में कोई स्थगन आदेश व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया है इस कारण वटवारा की किए जाने का अनुरोध किया है। 3— उनका यह भी तर्क है कि विवादित भूमि तहसील मोहनगढ़ में स्थित है इस कारण तहसील मोहनगढ़ के समक्ष वटवारा हेतु कार्यवाही प्रस्तावित किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनाधिकृत रूप से तहसीलदार जतारा को प्रकरण निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जिन्होनें अपर आयुक्त सागर के द्वारा पारित की अव्हेलना करते हुए वटवरा की कार्यवाही समाप्त की है। जबकि अपर आयुक्त सागर के समक्ष व्यवहारवाद के निराकरण उपरांत पारित डिकी के आधार पर नये सिरे से वटवारे के निर्देश दिए थे अतएव उन्होनें पारित आदेश निरस्त करते हुए तहसीलदार मोहनगढ़ को वटवारा किए जाने हेतु निर्देशित किए जाने का अनुरोध किया गया है। 4— आवेदक अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया व्यवहार न्यायधीश वर्ग—1 के आदेश दिनांक 15.04.2015 में प्रकरण का निराकरण किए जाने के उपरांत वरिष्ठ न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया है। मात्र अपील विचाराधीन होने से वटवारा की कार्यवाही रोकी जाना न्यायसंगत नहीं पाता हूँ।	

निग-1406 अ/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण तहसीलदार मोहनगढ़ के समक्ष इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उपभपक्षों को सुनवाई अवसर देते हुए वटवारा की कार्यवाही यथा शीघ्र करते हुए प्रकरण का निराकरण करें। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	